Saathi

Date 06/07/2020

Page: 1 to 2

B.A. PART-2nd (H)

POLITICAL SCIENCE

PAPER-IIIrd (INDAIN GOVERNMENT AND POLITICS)

(H-2 (PHILOSOPHY OF CONSTITUTION: THE PREAMBLE)

LECTURE NO.-05

By, OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

भारतीय संविधान की प्रस्तावना
Preamble of the Indian constitution

प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतया एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। प्रस्तावना का मुख्य प्रयोजन संविधान निर्माताओं के विचारों तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है जिससे संविधान की क्रियान्विति तथा उसके पालन में संविधान की मूल भावना का ध्यान रखा जा सके।

प्रस्तावना, भारतीय संविधान की भूमिका की तरह है, संविधान का एक श्रेष्ठ आभूषण है, संविधान का सार है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से सम्बंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा में रखे गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' से हुआ है। यही कारण है कि प्रस्तावना को 'उद्देशिका' भी कहा जाता है। 'उद्देश्य प्रस्ताव' राष्ट्रीय आन्दोलन के लक्ष्यों तथा महात्मा गाँधी के विचारों और भावनाओं पर आधारित था।

प्रसिद्ध न्यायविद् व संविधान विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के 'परिचय पत्र' की संज्ञा दी है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अमेरीकी संविधान से ली गई, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर आस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है।

Next Page No.

Scanned with CamScanner

Saathi

Date ___ /___ /______

42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और अखंडता' शब्द जोड़े गए। वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है-

"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

प्रस्तावना के मुख्य तत्त्व

संविधान का स्रोत
→ हम भारत के लोग अर्थात् जनता

संविधान का स्वरूप
(i) सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न
(ii) समाजवादी
(iii) पंथनिरपेक्ष
(iv) लोकतंत्रात्मक
(v) गणराज्य

संविधान का उद्देश्य
(i) न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक)
(ii) स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना)
(iii) प्रतिष्ठा और अवसर की समता
(iv) व्यक्ति की गरिमा
(v) राष्ट्र की एकता और अखंडता
(vi) बंधुता

Scanned with CamScanner